80

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य(ग्रुप–2)विभाग

कमाकःप0 6(1)चिस्वा/2/2021/एस–3074 जयपुर दिनांकः 25/3/21

निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

विषयः– डॉ. संदेश ऐरन, चिकित्सा अधिकारी को कार्यग्रहण कराने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि डॉ. संदेश ऐरन, चिकित्सा अधिकारी को विभाग के आदेश कमांक प.1(1)चिस्वा/2/2021 दिनांक 25.02.2021 की अनुपालना में पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कराने की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि अनुपस्थिति अवधि के संबंध में उनके विरूद्व सीसीए नियम–16 के तहत कार्यवाही की जावेगी तथा पदस्थापन आदेश जारी किये जाने पर नवपदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करने की तिथी से कर्त्तव्य पर मानते हुये अनुपस्थिति दिनांक से पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण किये जाने से पूर्व की अवधि अनुपस्थिति अवधि मानी जावेगी।

अतः अनुपस्थिति अवधि के लिए इनके विरूद्व सीसीए नियम–16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु आरोप पत्रादि 15 दिवस में इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें तथा डॉ. संदेश ऐरन, चिकित्सा अधिकारी को पदस्थापन स्थान जिला चिकित्सालय प्रतापगढ में कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः– O/C

1–विशिष्ट सहायक, मा0 चिकित्सा मंत्री महोदय।
2–निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें।
3–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला प्रतापगढ।
4– डॉ. संदेश ऐरन, चिकित्सा अधिकारी द्वारा निदेशक जन स्वा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज0जयपुर।
5–रक्षित पत्रावली/कम्पयूटर प्रति ।

सहायक शासन सचिव

O/C

2108 295

राजस्थान–सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चिअ/एस–3074/2021/ 316 दिनांक : 09-05-21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–उदयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,बॉसवाडा।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,प्रतापगढ को भेजकर लेख हैं कि डॉ. संदेश ऐरन, चि0अ0 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सीसीए नियम–16 के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु आरोप पत्रादि तैयार अविलम्ब निदेशालय को भिजवावें।
4. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, एटीसी/डीपीसी (राजपत्रित) मुख्यालय।
5. अति0 प्रशासनिक अधिकारी, गोपनीय अनुभाग (राजपत्रित) मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।
6. डॉ. संदेश ऐरन चि0अ0 द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त पत्र को आज ही सम्बन्धितों की ई मैल आई.डी.पर उपलोड कराने का श्रम करें।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।